POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 08.05.2026

1. थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा व्यक्तियों के साथ टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर धोखाधडी/ठगी करने वाली कम्पनी रेंजर्स क्लब के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 फर्जी आई कार्ड पर्यटन मंत्रालय, 180 फर्जी विजिटिंग कार्ड, 14 फर्जी मोहरें, 15 फर्जी समझौता ज्ञापन (MOU) दस्तावेज तथा 03 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.05.2026** को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर मॉल, सेक्टर-32 नोएडा से व्यक्तियों के साथ धोखाधडी कर टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर पैसा ठगी करने वाली कम्पनी रेंजर्स क्लब के 03 अभियुक्तगण 1.इमरान खान पुत्र मौ0 सकील खान 2. अभय कुमार पुत्र संजय कुमार सिंह 3. शैलेन्द्र सिंह पुत्र अरुण सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों रेंजर्स क्लब कम्पनी में डायरेक्टर हैं, टूर पैकेज का प्रलोभन देकर हम लोग अपने लालच के कारण ग्राहको से धोखाधडी कर पैसा ले लेते थे और उन्हें पैकेज में बतायी गई सुविधा उपलब्ध नहीं कराते थे। इस प्रकार की घटनाऐं हम तीनों ने साथ मिलकर कई व्यक्तियों के साथ की है तथा उनके साथ धोखाधडी कर करोडों रुपयों का लाभ भी कमाया है। हमारे बैंक खातो में जो पैसा है वह हम तीनो द्वारा धोखाधडी कर अर्जित किया गया है। हम लोगों ने धोखाधडी करने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिजम गर्वमेंन्ट ऑफ इण्डिया के कूटरचित दस्तावेज तैयार किये हुए थे जिनको हम लोग धोखाधडी करने के समय ग्राहकों को दिखाकर प्रभावित करते थे और अपना टूर पैकेज लेने के लिये लुभाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1.इमरान खान पुत्र मौ0 सकील खान निवासी आर-315 सौरभ विहार थाना सौरभ विहार नई दिल्ली, उम्र करीब 32 वर्ष

2. अभय कुमार पुत्र संजय कुमार सिंह निवासी बी-15 प्रथम तल सेक्टर-48 थाना सेक्टर-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर मूल पता एच-350 कालोनी कोर्ट रियासत नियर संकरी सिंह चौराहा कोतवाली किनगाहा जिला श्रावस्ती उ0प्र0, उम्र करीब 35 वर्ष

3. शैलेन्द्र सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी भीगू आश्रम थाना कोतवाली जिला बलिया हाल पता ए-201 मैकस पैलेस सोसाईटी सेक्टर-75 थाना सेक्टर-113 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0, उम्र करीब 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 209/2026 धारा 318(4)/352/351(2)/61(2)/316 (5)/338/336(3) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 03 फर्जी आईकार्ड पर्यटन मंत्रालय, 180 फर्जी विजिटिंग कार्ड, 14 फर्जी मोहरें, 15 फर्जी समझौता ज्ञापन (MOU) दस्तावेज बरामद।
2. 03 मोबाईल फोन
3. एक क्रेटा कार रजि0 नं0 डीएल 9 सीबीसी 5583
4. 7100 रुपये बरामद।

2. थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का अनावरण करते हुये पुलिस मुठभेड के उपरान्त आरोपी गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 08.05.2026 को अभियुक्त अभिषेक कुमार द्वारा मृतक शीशपाल पुत्र दौलत राम व मृतक इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र विजयपाल की फावडे से वार करके नॉलेज पार्क तृतीय ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन हॉस्टल में हत्या कर दी गयी थी। उक्त प्रकरण में थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 86/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा दिनांक 09.05.2026 को गुर्जरपुर रेलवे लाईन की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता थाना नॉलेजपार्क से अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र राजकुमार को पुलिस मुठभेड के उपरान्त गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किये गये है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं व मृतक शीशपाल पुत्र दौलत राम व मृतक इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र विजयपाल, दिनांक 06.05.2026 को नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा के नये बन रहे हॉस्टल में माली का काम करने के लिए आये थे। मेरा मनमुटाव शीशपाल से पूर्व से चला आ रहा था। शीशपाल के संबंध, पूर्व में मेरी मृत बहन से थे जिसके कारण वह मुझे ताने देता रहता था और इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भी उसके साथ मिलकर मुझे ताने मारता रहता था। मैंने इन दोनों को निपटाने की सोच ली और प्लानिंग से मैं इनके साथ काम करने के बहाने ग्रेटर नोएडा आया था कि दिनांक 08.05.2026 को मैंने इन दोनों को शराब पिलाई थी और मैंने बहुत कम शराब पी थी, ताकि मैं होश में रहूँ। जब ये दोनों नशे में होकर सो गये तो मैंने रात्रि में शीशपाल के सिर पर व अन्य जगह -जगह पर फावडा से जान से मारने की नियत से वार कर दिये तथा इतने में ही इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र जाग गया तो मेरे द्वारा उसके सिर व अन्य जगहों पर भी जान से मारने की नीयत से कई वार कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अभिषेक कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला जयभीमनगर गढ रोड थाना भावनपुर जिला मेरठ उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 86/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना नॉलेजपार्क कमि0-गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0 87/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।